

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपयुक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएँ)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर धार जिले के अन्तर्गत वन मण्डल धार के परिक्षेत्र धामनोद के वन खण्ड भुमट (III)-3 कोटिदा, सराय सेवरीमाल के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 504 रकबा 6.75 हेक्टेयर, आर.एफ. 503 रकबा 5.75 हेक्टेयर, आर.एफ. 502 रकबा 13.50 हेक्टेयर, आर.एफ. 325 रकबा 20.53 हेक्टेयर, आर.एफ. 326 रकबा 7.25 हेक्टेयर, आर.एफ. 495 रकबा 18.50 हेक्टेयर, आर.एफ. 494, रकबा 4.22 हेक्टेयर एवं आर.एफ. 506 रकबा 42.75 हेक्टेयर कुल 119.25 हेक्टेयर वन भूमि कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के तालाब निर्माण हेतु जल संसाधन विभाग को देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	---

दिनांक: 24.4.2017

स्थान: भोपाल


(महेन्द्र सिंह धाकड़)
सचिव

म.प्र. शासन वन विभाग

(महेन्द्र सिंह धाकड़)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)